संख्या-18/2022/1554/63व0उ0-2022-30(एच)/2019

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

विषयः- यूपिका, कानपुर के सेवानिवृत्त कार्मिकों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, कानपुर के पत्र संख्या-357/वित्त एवं लेखा अनु0/2022-23 दिनांक 05.07.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आपके उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका) कानपुर के सेवा निवृत्त कार्मिकों के बकाया के भुगतान करने हेतु रू 6.04 करोड़ (रूपया छह करोड़, चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति ब्याज रहित ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-6075-विधिक सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-800-अन्य कर्ज-03-रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण"के अन्तर्गत दिये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करतें हैं।

2- तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर रू 6.04 करोड़ (रूपया छह करोड़, चार लाख मात्र) का ब्याज रहित ऋण यूपिका को निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किया जायेगाः-

1-उक्त धनराशि उसी कार्य के लिये व्यय की जायेगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

2-राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी आगामी 10 वर्षो में की जायेगी।

3-मूलधन की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगाँठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तो की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

4-मूल अदायगी में व्यवधान होने पर अभुगतानित धनराशि पर 2.5 प्रतिशत की दर से दण्डात्मक ब्याज लगाया जायेगा, जो अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक की अवधि हेतु आगणित किया जायेगा।

5-यूपिका ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, वाऊचर संख्या, तिथि, लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

6-यूपिका द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किये जाने पर महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजेः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- कोषागार का नाम .....

2-चालान संख्या तथा दिनांक .....

3-जमा धनराशि किश्त ब्याज .....

4-लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज .....

5-शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का सन्दर्भ.....

6-पिछले जमा का सन्दर्भ.....

7-आयुक्त एवं निदेशक आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराये।

8-भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि आयुक्त एवं निदेशक ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्थान महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत रू 6.04 करोड़ (रूपया छह करोड़, चार लाख मात्र) की धनराशि उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि रू 6.04 करोड़ (रूपया छह करोड़, चार लाख मात्र) का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका), कानपुर का होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2022/1554(1)/63व0उ0-2022 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2-मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।

5-अनु सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

6-मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायते, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

7-गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।